



सत्यमेव जयते

स्पीड पोस्ट

**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

(1) File No. NSU/14/2018/STGMP/DELAAL/RU-III  
(2) File No. RSBS/44/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

दिनांक: 14-02-2019

**सिटिंग नोटिस**

- विषय :- 1. आदिवासी राजघराने की शक्ति हाउस व कृषि भूमि हड़पने के संबंध में – श्री नेपाल सिंह उइके, संगठन मंत्री म.प्र. आदिवासी विकास परिषद, जिला शाखा छिंदवाड़ा, मु. पो. वालाचौरई – गुढी जिला छिंदवाड़ा म.प्र. का प्राप्त अभ्यावेदन।
2. पूर्वजों की जमीन शक्ति हाउस छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश पर आशाराम बापू एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा किये गए अवैध कब्जा को हटाकर कब्जा दिलाने बाबत – श्री राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सक्ती स्टेट, छत्तीसगढ़, हरि गुजर महल सक्ति, जिला जांजगीर, – 495689 (छत्तीसगढ़) का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक **28-02-2019 को 12.30 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2036-39  
14/2/19  
OIC  
जारी किया  
ISSUED  
डॉ. ललित लहड़ा  
निदेशक  
14/2/2019

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,  
राजस्व विभाग, मंत्रालय,  
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)
2. जिला कलेक्टर  
जिला छिंदवाड़ा  
(म.प्र.)

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

1. श्री राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सक्ती स्टेट, छत्तीसगढ़, हरि गुजर महल सक्ति, जिला जांजगीर, 495689 (छत्तीसगढ़)
2. श्री नेपाल सिंह उइके, संगठन मंत्री म.प्र. आदिवासी विकास परिषद, जिला शाखा छिंदवाड़ा, मु. पो. वालाचौरई-गुढी, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)